

आर्थिक विकास की समझ

कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 81-7450-695-0

प्रथम संस्करण

मार्च 2007 चैत्र 1928

पुनर्मुद्रण

नवंबर 2007 कार्तिक 1929

जनवरी 2009 माघ 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 पौष 1932

मार्च 2013 फाल्गुन 1934

दिसंबर 2013 अग्रहायण 1935

PD 55T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007

₹ ??

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे
बनाशकरी III स्ट्रेज
बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	अशोक श्रीवास्तव
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	कल्याण बनर्जी
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	गौतम गांगुली
मुख्य संपादक (संविदा सेवा)	:	नरेश यादव
उत्पादन अधिकारी	:	अरुण चितकारा

आवरण, सज्जा एवं चित्र
केरन हेडॉक

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को सार्थक बनाने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जानेवाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर तापस मजूमदार की विशेष आभारी है। इस

पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षक हेतु कुछ परिचयात्मक बातें

यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-प्रक्रिया के सरलीकृत रूप से परिचय कराती है। अर्थशास्त्र में हम प्रायः विकास को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक या उपभोक्ता के रूप में लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कभी-कभी विकास का अध्ययन मुख्यतः एक परिघटना के रूप में किया जाता है जिसे केवल आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की संवृद्धि के साथ महत्त्व प्राप्त हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी देश का विकास (या अल्पविकास) अक्सर युद्धों और विजयों के परिणामों पर एवं एक देश द्वारा दूसरे देश के औपनिवेशिक शोषण पर निर्भर रहा है। परन्तु इस पुस्तक में हमने बाह्य कारकों पर बल नहीं दिया है। हमने विकास-प्रक्रिया के लम्बे परिदृश्य को लिया है: ऐसी प्रक्रिया जो किसी बाह्य कारकों के हस्तक्षेप या उससे बाधित होने से पहले आरम्भ हो सके। विकास की प्रक्रिया ऐसी बाधाओं के बाद भी पुनः आरंभ हो सकती है और पराधीनता की समाप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है। अपने देश भारत का विकास इसी प्रकार हुआ है।


इस पुस्तक में सर्वप्रथम देश में विकास की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों—कृषि, विनिर्माण और सेवा—के उदय के रूप में देखते हैं। हमने आर्थिक विकास को पृथक रूप में नहीं, बल्कि मानव-विकास की सामान्य अवधारणा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को व्यापक रूप से परिभाषित करनेवाले (आय सहित) अन्य संकेतकों को भी शामिल किया है, के अंग के रूप में देखने की कोशिश की है।

प्रथम अध्याय में, हम अध्ययन करेंगे कि लोग वास्तव में विकास की अवधारणा को कैसे समझते हैं और इसका मापन कैसे किया जा सकता है? इस उद्देश्य के लिए कई मापदंड उपलब्ध हैं। हम देखेंगे कि विकास को समझने में कुछ महत्त्वपूर्ण विकास संकेतक कहाँ तक सहायक हैं और विकास-प्रक्रिया अलग-अलग लोगों को कैसे अलग-अलग रूप में प्रभावित कर सकती है।

एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत संभवतः अतीत में कुछ पहले हुई। विकास को हम जिस अर्थ में समझते हैं उस अर्थ में शायद किसी भी देश को विकसित नहीं कहा जा सकता। विकास-प्रक्रिया की शुरुआत संभवतः मानव-बसावटों से हुई होगी, जब लोग अपेक्षाकृत शांति से एवं कम या अधिक निश्चित निवास स्थानों में बड़े पैमाने पर कृषि संभव नहीं होने के बावजूद रहने लगे। जब कृषि की शुरुआत हुई और कृषिगत क्रियाओं का विकास आरम्भ हुआ, तब संभवतः अन्य प्राकृतिक उत्पादों, जैसे खनिज अयस्कों के निष्कर्षण की भी शुरुआत हुई। पत्थरों एवं अन्य खनिजों को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को 'उत्खनन' कहा जाता है।

मनुष्य ने औजार, अस्त्र-शस्त्र, बर्तन, मछली का जाल और अनेक चीजें बनाने के लिए अखाद्य उत्पादों, जैसे – पेड़ों से लकड़ी और कच्चे माल के रूप में उत्खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग करना सीखा। ये प्रथम मानव-निर्मित उत्पाद थे जिन्हें 'शिल्पकृतियाँ' कहा जाता है।

अर्थशास्त्री कृषि (उत्खनन सहित), जिसमें फल, चावल, खनिज जैसे शुद्ध प्राकृतिक उत्पादों का संग्रहण, खेती या निष्कर्षण शामिल है, से अन्तर करने के लिए शिल्पकृतियाँ बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं।





श्रम सभी संपत्तियों का स्रोत है।

उत्खनन सहित कृषि (जिसे प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं) और विनिर्माण (जिसे द्वितीयक क्षेत्रक भी कहते हैं), इन दो क्षेत्रकों के बीच उत्पादन-गतिविधियों का विभाजन आर्थिक विकास का संभवतः प्रथम दृष्ट स्वरूप था। यह विभाजन 'श्रम-विभाजन' की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। यह नाम अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। इस प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या नीचे की गई है।

सर्वप्रथम एक व्यक्ति या कम से कम एक परिवार के सदस्य संभवतः सभी कार्य स्वयं करते थे। उसके बाद कहीं-कहीं श्रम-विभाजन का लाभ महसूस किया गया। मानव ने अनुभव के साथ पाया कि जब कुछ लोगों ने मछली पकड़ने, कुछ अन्य लोगों ने खेतों की जुताई या मिट्टी के बर्तन बनाने या पक्षियों और जानवरों का शिकार करना सीखने पर ध्यान केन्द्रित किया तो दक्षता पूर्ण ढंग से उत्पादन होने लगा। यह भी एक प्रकार का 'विकास' ही था। इसके बाद विशेषज्ञों का उदय हुआ, जो स्वयं वस्तुओं का बिल्कुल उत्पादन नहीं करते थे परन्तु दूसरों को यह बताने में विशेषज्ञ थे कि बेहतर ढंग से उत्पादन कैसे किया जाए। जो डॉक्टर थे, वे घायल या बीमार पड़े लोगों का उपचार करते थे। इस प्रकार, श्रम विभाजन से स्वभावतः सभी लोगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ।

द्वितीय अध्याय में उस तरीके का अध्ययन करेंगे जिसके तहत आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों के ढाँचे में समझा जा सकता है। यहाँ चर्चा तीनों क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप पर केन्द्रित है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के दो अन्य रूपों - संगठित एवं असंगठित और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों - की भी चर्चा की गई है। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझने में वर्गीकरण के अन्य रूपों की प्रासंगिकता की विस्तृत व्याख्या वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भ-अध्ययनों के माध्यम से की गयी है।

तृतीय अध्याय पाठकों को मुद्रा संसार में ले जाता है जहाँ आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, इसके प्रकार एवं अनेक संस्थाओं, जैसे बैंकों से संबंध की चर्चा है। इस अध्याय में लोगों को साख उपलब्ध कराने वाली अन्य संस्थाओं और बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। चर्चा में साख के जिन मुद्दों पर बल दिया गया है, वे हैं- (अ) जनसंख्या के एक बड़े भाग के बीच साख की उपलब्धता, (ब) भारत में अनौपचारिक साख की बहुलता और (स) उत्पादक निवेश, उच्चतर आय प्रवाह, उत्पादक निवेश में सहायक उच्च जीवन स्तर का स्वपोषित 'सुचक्र' या ऋणग्रस्तता, निर्धनता और निर्धनता की वृद्धि में सहायक कर्ज-जाल 'दुश्चक्र' के निर्माण में साख की भूमिका। ये सभी अवधारणाएँ संदर्भ-अध्ययनों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं।

वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसने विकास-प्रक्रिया और विश्व के लोगों को कई तरह से प्रभावित किया है। चतुर्थ अध्याय वैश्वीकरण के एक विशेष आर्थिक आयाम, उत्पादन, के जटिल ताने-बाने पर केन्द्रित है। इसमें व्याख्या की गई है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ व्यापार और निवेश के जरिए वैश्वीकरण में मदद करती हैं। इस अध्याय में वैश्वीकरण में सहायक कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों और संस्थाओं को भी स्थान मिला है। अध्याय के अन्त में भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों (सकारात्मक एवं नकारात्मक) का मूल्यांकन किया गया है।

विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में केवल उत्पादन स्तर की वृद्धि में ही मदद नहीं करती है, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। इस अध्याय में दिए गए उदाहरण और संदर्भ अध्ययन यह परीक्षण करने का प्रयत्न करते हैं कि विकास का लाभ सभी लोगों (छोटे एवं बड़े उत्पादकों, संगठित या असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों, सभी आय-वर्ग के उपभोक्ताओं, पुरुष एवं महिलाओं) को मिल रहा है या कुछ सुविधा प्राप्त लोगों तक ही सीमित है।

अंतिम अध्याय एक प्रासंगिक अध्ययन प्रस्तुत करता है कि कैसे और किस सीमा तक हम उपभोक्ता के रूप में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं? तीव्र विकास की प्रक्रिया एवं नये ब्रांडों के उदय और अनैतिक उत्पादकों के विज्ञापन अभियानों के युग में प्रायः उपभोक्ता ही भ्रष्ट व्यवसाय का शिकार होता है। उपभोक्ता आंदोलनों की ऐतिहासिकता की पहचान के साथ वास्तविक जीवन के अनेक दृष्टान्तों के माध्यम से यह अध्याय वर्षों से विकसित विभिन्न किफायती उपभोक्ता संरक्षण क्रिया विधियों की चर्चा करता है। यह अध्याय विस्तृत विवरण देता है कि कष्टप्रद, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से अलग हटकर संचालित विशेष उपभोक्ता अदालतों से लोग कैसे अत्यन्त कम खर्च पर अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएँ

इस पुस्तक का उद्देश्य अपने आसपास के अर्थिक जीवन को समझना है और इस बारे में भी विचार करना है कि लोगों के आर्थिक विकास से हम क्या समझते हैं। अवधारणात्मक स्पष्टता और इन अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हमने इसमें अनेक उदाहरणों और संदर्भ-अध्ययनों का उपयोग किया है। सम्पूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें पढ़कर और उपयोग किया जाना चाहिए।

अध्याय **शिक्षक के लिए निर्देश** से प्रारम्भ होते हैं। किसी भी अध्याय को पढ़ाने से पहले शिक्षक को यह पृष्ठ पढ़ना चाहिए। इसमें (क) अध्याय की विषय-वस्तु और व्यापक दृष्टिकोण (ख) अध्याय की विषय-वस्तु को पढ़ाने के लिए कुछ निर्देश तथा (ग) विभिन्न शीर्षकों से संबंधित अतिरिक्त जानकारियों के स्रोतों के विवरण दिए गए हैं।

सभी अध्यायों में प्रत्येक खंड के बाद **आओ-इन पर विचार करें** के अन्तर्गत अनेक अभ्यास दिए गए हैं। इसमें खंड के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रश्न हैं और कुछ खुले परिणाम वाले प्रश्न और कार्यकलाप हैं जिन्हें कक्षाओं में या कक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। कुछ अभ्यासों को परिचर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए। छात्र इन पर समूहों में चर्चा कर सकते हैं और उनके निष्कर्षों और उत्तरों को सम्पूर्ण कक्षा में बहस के लिए रखा जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, परन्तु यह अनिवार्य है क्योंकि इनसे छात्रों को छान-बीन करने और एक-दूसरे से सीखने में सहायता मिलती है। इसका अभिप्राय पहले की तुलना में छात्रों के बीच अधिक पारस्परिक सहयोग में मदद करना है। लेकिन इसकी कोई तयशुदा विधि नहीं है। प्रत्येक शिक्षक को स्वयं अपने पढ़ाने का ढंग विकसित करना होगा और हमें उनकी क्षमता पर विश्वास है।

इस पुस्तक को तैयार करते समय हमने अनेक संदर्भ सामग्रियों का उपयोग किया है। इसके अलावा समाचार पत्रों की अनेक कतरनों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्टों का भी उपयोग किया है। इनमें से कुछ का उल्लेख **शिक्षक के लिए निर्देश** में किया गया है और कुछ पुस्तक के अन्त में सुझावित पाठ्य-सामग्रियों में दिए गए हैं।

अतिरिक्त जानकारियों और पाठ्य-सामग्रियों की कक्षाओं में चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक है। यह संक्षिप्त सर्वेक्षणों, आसपास के लोगों के साक्षात्कारों, संदर्भ-पुस्तकों अथवा समाचार पत्रों की कतरनों इत्यादि के रूप में हो सकता है। इसलिए इनका उपयोग छात्रों द्वारा स्वतः चार्ट बनाने, वॉल पेपर डिस्प्ले, प्रदर्शन एवं बहस आदि के रूप में प्रत्युत्तर एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए।



मूल्यांकन

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 और परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय फोकस समूह के स्थिति पत्र ने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तरीकों में बदलाव के लिए अपील की है। इस पुस्तक में पूछे गए प्रश्न रटने को बढ़ावा देने वाली मूल्यांकन प्रणाली से हटकर पाठकों की रचनात्मक सोच, कल्पनाशीलता, प्रत्युत्तर और विश्लेषण क्षमता को धारदार बनाने वाली प्रणाली अपनायी गई है। यहाँ दिए गए उदाहरणों के आधार पर शिक्षक अतिरिक्त प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं।

केन्द्रीय अवधारणा की समझ का परीक्षण करने वाले प्रश्न

- (अ) सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) किसी विशेष वर्ष में उत्पादित का कुल मूल्य है।
 (क) सभी वस्तुओं और सेवाओं
 (ख) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
 (ग) सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं
 (घ) सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
- (ब) विकास के लिए साख की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- (स) भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों का उत्पादन किस प्रकार उत्पादन को परस्पर संबंधित करने में सहायक होगा?
- (द) श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा?

विश्लेषणात्मक योग्यता, व्याख्या और सुसंगत प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन हेतु प्रश्न

- (अ) निम्नलिखित सारणी में तीनों क्षेत्रों के द्वारा जी.डी.पी. में योगदान को दिखाया गया है (करोड़ रुपये में)।

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
1950	80,000	19,000	39,000
2000	3,14,000	2,80,000	5,55,000

- (क) 1950 और 2000 में तीनों क्षेत्रों की जी.डी.पी. में हिस्सेदारी की गणना कीजिए।
- (ख) आँकड़ों को अध्याय 2 के आरेख 2 के समान दण्ड-आरेख में प्रदर्शित कीजिए।
- (ग) दण्ड-आरेख से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
- (ब) भारत में 80 प्रतिशत किसान, छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए साख की जरूरत है।
 (क) बैंक छोटे किसानों को कर्ज देने की अनिच्छा क्यों प्रकट करते हैं?
 (ख) अन्य स्रोत क्या हैं जहाँ से छोटे किसान उधार ले सकते हैं।
 (ग) छोटे किसानों के लिए ऋण की शर्तें कैसे प्रतिकूल हो सकती हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
 (घ) कुछ ऐसे तरीकों का सुझाव दीजिए जिससे छोटे किसान सस्ते ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिबिम्बित सोच के परीक्षण हेतु प्रश्न

- (अ) चित्र को देखिए (झुगियों के बीच ऊँचे भवन)। ऐसे क्षेत्रों के लिए विकास लक्ष्य क्या होना चाहिए?
- (ब) “पृथ्वी पर सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन हैं परन्तु किसी भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।” विकास के संदर्भ में यह कथन किस प्रकार प्रासंगिक है? चर्चा करें।
- (स) “तृतीयक क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है।” क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
- (द) लोग खराब सड़कों या पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव की शिकायत करते हैं परन्तु कोई सुनता नहीं है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम आपको सवाल करने का अधिकार देता है। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अवधारणाओं एवं विचारों को लागू करने की योग्यता का परीक्षण करने वाले प्रश्न

- (अ) आपके गाँव, शहर या क्षेत्र के विकास लक्ष्य क्या हो सकते हैं?
- (ब) विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक या कनिष्ठ और वरिष्ठ समूह में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त की गई कसौटी क्या है? आपके विचार से क्या यह उपयोगी वर्गीकरण है?
- (स) शहरी क्षेत्रों में रोजगार में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है?
- (द) प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण लेकर व्याख्या कीजिए।
- (घ) यदि आप अपने क्षेत्र के बाज़ार परिसर (शॉपिंग कम्प्लेक्स) में जाते हैं तो उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के विषय अन्तःसंबंधित है। इनसे ऐसे प्रश्न विकसित करने की आवश्यकता है जो छात्रों का ध्यान पाठ्यक्रम के एक या अधिक विषयों के सार्थक संबंधों की ओर आकर्षित करें। उदाहरण के लिए, अध्याय-4 का एक प्रश्न अध्याय-2 से संबंधित है— अध्याय-4 में, हमने देखा कि एक का विकास दूसरों के लिए विनाश हो सकता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पता कीजिए कि ये लोग कौन हैं और वे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं?

हम आशा करते हैं कि आप अपने छात्रों सहित इस पुस्तक का समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे और अपनी आलोचनाओं, प्रश्नों एवं सहमतियों को निम्न पते पर हमें भेजेंगे और हम इस चर्चा को पुनः जारी रख सकेंगे।

कार्यक्रम समन्वयक

अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक, कक्षा- 10

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

श्री अरविन्दो मार्ग

नयी दिल्ली-110016

ईमेल आईडी: classtenecons2007@hotmail.com

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक (माध्यमिक स्तरीय) सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, आचार्य, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, अवकाश प्राप्त आचार्य, अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

सलाहकार

सतीश कु. जैन, आचार्य, आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

सदस्य

अरविन्द सरदाना, एकलव्य, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेटिव एक्शन, मध्य प्रदेश

नीरजा रश्मि, प्रवाचक, पाठ्यचर्या समूह, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

नीरजा नौटियाल, टी.जी.टी. (सामाजिक विज्ञान), केंद्रीय विद्यालय, बी.ई.जी. सेंटर, दक्कन कॉलेज रोड, यवदा, पुणे

रजिन्द्र चौधरी, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

राम गोपाल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु

सुकन्या बोस, एकलव्य, फेलो, नयी दिल्ली

विजय शंकर, समाज प्रगति सहयोग, बागली ब्लॉक, जिला-देवास, मध्यप्रदेश

अनुवादक मंडल

पी.के. तिवारी, रिसर्च स्कॉलर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

शिखा गर्ग सेठी, सी-49, पम्पोस इन्कलेव, नयी दिल्ली

शिवानन्द उपाध्याय, 520, लाडो सराय, महरौली, नयी दिल्ली

सदस्य समन्वयक

एम.बी. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

आभार

यह पुस्तक विद्वानों, विद्यालय के शिक्षकों, छात्रों शैक्षिक कार्यकर्ताओं और हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के विचारों, टिप्पणियों और सुझावों का परिणाम है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जीन ट्रेज, विजिटिंग प्रोफेसर, गो.ब. पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद; आर. नागराज, प्रोफेसर, इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई; राममनोहर रेड्डी, एडीटर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और सुजन कृष्णमूर्ति, स्वतंत्र शोधकर्ता, मुम्बई; एस. कृष्णकुमार, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; तारा नायर, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द केशव दास, गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद; जॉर्ज चेरियन, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट इंटरनेशनल, जयपुर; निर्मल्य बसु, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर; मनीष जैन, शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का पुस्तक निर्माण में दिए सुझावों के लिए आभार प्रकट करती है। हम अपने सहकर्मियों के. चन्द्रशेखर, शैक्षिक मापदण्ड एवं मूल्यांकन विभाग, आर. मेघनाथन, भाषा विभाग, अशिता रवीन्द्रन एवं जया सिंह, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का उनकी सामग्रियों एवं सुझावों के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हम (स्व.) दीपक बनर्जी, प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त), प्रेसीडेन्सी कॉलेज, कोलकाता के अमूल्य परामर्शों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

कई शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार से इस पुस्तक में योगदान दिया है। कांता बंसल, उप प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय न. 2, मिलिट्री हॉस्पिटल रोड, बेलगाम छावनी, बेलगाम, कर्नाटक; रेनू देशमना, टी.जी.टी. (सामाजिक विज्ञान) केन्द्रीय विद्यालय न.2, दिल्ली छावनी, गुडगाँव रोड, दिल्ली; नलिनी पद्मनाभन, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र) डी.टी.ई.ए. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जनकपुरी, नयी दिल्ली के योगदानों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-47, चंडीगढ़ के छात्रों एवं शिक्षकों के फीडबैक एवं प्रतिक्रियाएँ इस पुस्तक के सुधार हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण थी।

हम समीक्षा समिति के सदस्यगण - एच.के. गप्ता, सी-78, सूजमल विहार, दिल्ली; ओ.पी.अग्रवाल डी-12, द्वितीय तल, कालकाजी, नयी दिल्ली; लीना सिंह पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केन्द्रीय विद्यालय, ए.जी.सी.आर. दिल्ली तथा रमेश चन्द्र, ए-56, डी.डी.ए. प्लैट, कटवारिया सराय, नयी दिल्ली के भी आभारी हैं, जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया तथा अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

परिषद् निम्न व्यक्तियों एवं संगठनों को अपनी पुस्तकों और अभिलेखागारों से हमें फोटोग्राफ उपलब्ध कराने और उनके उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है: जॉन ब्रेनमन एवं पार्थिव शाह की *वर्किंग इन द मिल नो मोर*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली सेंटर फॉर एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन, दिल्ली फोरम; निरन्तर, दिल्ली एवं अनन्ति, गुजरात; शुभ लक्ष्मी, दिल्ली, अंबुज सोनी, देवास, मध्य प्रदेश; करेन हेडॉक, चंडीगढ़; और एम.वी. श्रीनिवासन, डी.ई.एस.एस.एच.; प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय; भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय; मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई एवं सीताराम भरतिया विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली।

हम इस पुस्तक में प्रयुक्त समाचार कतरनों के लिए 'द हिन्दू' एवं 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के ऋणी हैं।

सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग को उनके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं।

पांडुलिपियों की जाँच करने और उनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए सुझाव देने हेतु वंदना आर. सिंह, सलाहकार संपादक, को विशेष धन्यवाद।

इस पुस्तक को तैयार करने हेतु परिषद् डी.टी.पी. ऑपरेंटर मुकद्दस आजम, मोहम्मद हारून रशिद, ऋतु शर्मा; दिनेश कुमार सिंह इंचार्ज कम्प्यूटर कक्ष; प्रशासनिक कर्मचारी डी.ई.एस.एस.एच.; काँपी एडीटर, विनय शंकर पाण्डेय, सतीश झा के संपादकीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त करती है। अंततः प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. के प्रयासों के प्रति भी आभारी है।

विषय सामग्री

आमुख	iii
शिक्षक हेतु कुछ परिचयात्मक बातें	v
अध्याय 1	
विकास	2
अध्याय 2	
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक	18
अध्याय 3	
मुद्रा और साख	38
अध्याय 4	
वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था	54
अध्याय 5	
उपभोक्ता अधिकार	74
सुझावात्मक पाठ	90